समक्ष *सुवीर सहगल, जे.*

धरम सिंह @ मोहन- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

2020 का सीआरएम-एम नंबर 37147

नवम्बर 25/2020

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 438- अग्रिम जमानत के लिए याचिका- धारा 376, 342, 323, 506 और 120-बी के तहत अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 3- अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989— धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 - शादी के झूठे बहाने पर शारीरिक संबंधों के आरोपों को जून 2018 में अंतिम रूप दिया गया—शिकायतकर्ता को गलत तरीके से बंधक बनाना, आपराधिक धमकी, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल - आपत्तिजनक सामग्री और याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन में संग्रहीत नग्न वीडियो - उन्होंने महिला के खिलाफ अपराध से संबंधित एक अन्य मामले में अपनी भागीदारी को छुपाया- माना जाता है, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता के बयान और विशिष्ट आरोपों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है- विजय उर्फ चीनी मामले (2010) 8 एससीसी 191 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है कि ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाना चाहिए-अभियुक्त को यौन अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने में देरी का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है - आगे कहा गया, अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो अपने आपराधिक अतीत के बारे में तथ्यों को दबाता है और गंदे हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाता है - याचिका खारिज कर दी गई।

निर्धारित किया गया याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार, शिकायतकर्ता को गलत तरीके से बंधक बनाने, आपराधिक धमकी, चोट पहुंचाने आदि के बारे में स्पष्ट और गंभीर आरोप हैं। शिकायतकर्ता ने न केवल शिकायत में कथित घटनाओं का विवरण दिया है, बल्कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में भी उनका समर्थन किया है। आरोपी याचिकाकर्ता से बरामद मोबाइल फोन में नग्न वीडियो वाली आपत्तिजनक सामग्री संग्रहीत पाई गई। यहां तक कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया माइक्रो कैमरा भी बरामद कर लिया गया है। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता

के रिश्तेदार जून 2018 में उसके साथ थे जब दोनों के बीच शादी को अंतिम रूप दिया गया था और उसके बाद, याचिकाकर्ता किसी न किसी बहाने मामले में देरी करता रहा।

(पैरा 7)

आगे निर्धारित किया गया, कि शिकायतकर्ता के बयान और उसके द्वारा लगाए गए विशिष्ट आरोपों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। **विजय उर्फ चीनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 8 एससीसी 191 (पैरा 11) में सुप्रीम कोर्ट** की टिप्पणियों पर ध्यान देने योग्य है: -

> *"11. **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996) 2 एससीसी** 384 में, इस न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों में, न्यायालय ऐसे मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटने के लिए बाध्य है। अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियां एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को बाहर फेंकने का आधार नहीं होना चाहिए। यौन उत्पीड़न में पीड़ित के साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हैं और इसके लिए किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब तक कि पुष्टि की मांग करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। न्यायालय न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासनों की तलाश कर सकता है। अभियोक्ता का बयान घायल गवाह की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह उसकी साथी नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि यौन अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने में देरी को भी ठीक से समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर यह स्वाभाविक पाया जाता है, तो आरोपी को इसका कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है.....*
>
> (पैरा 9)

आगे कहा गया, कि अभी भी आगे, जैसा कि राज्य के वकील ने बताया, याचिकाकर्ता का आपराधिक पूर्ववृत्त है। वह महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित एक अन्य प्राथमिकी में शामिल है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने याचिका में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है, बल्कि याचिका के पैरा 20 में, उसने एक स्पष्ट घोषणा की है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

> *"20. याचिकाकर्ता के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अन्य मामला दर्ज या लंबित नहीं है।*
>
> (पैरा10)

आगे निर्धारित किया गया, कि अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो अपने आपराधिक अतीत के बारे में तथ्यों को दबाता है और दागी हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाता है।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता के वकील *केशव प्रताप सिंह।*

राजीव सिद्धू, डीएजी, हरियाणा, प्रतिवादी-राज्य के लिए।

शिकायतकर्ता के वकील सलीम अहमद।

सुवीर सहगल जे.

1. कोरोनावायरस (कोविद -19) महामारी के प्रकोप के कारण याचिका की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376, 342, 323, 506, 120-बी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 459 दिनांक 22.09.2020 के मामले में अग्रिम जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत वर्तमान याचिका दायर की गई है। पुलिस स्टेशन नूंह, जिला नूंह में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 67 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

3. उपरोक्त एफआईआर ए (इसके बाद पीड़ित-शिकायतकर्ता के रूप में संदर्भित) द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी और वह, जैसा कि याचिका में दिया गया है, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "एसएचओ को,
>
> पी.एस.सदर नूंह,
>
> विषय: के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आवेदन के संबंध में (1.) धर्म सिंह उर्फ मोहन पुत्र जीता राम) (2.) श्री जीत राम) (3.) श्री कन्हिया) (4.) जीत राम की पत्नी मूर्ति देवी)।
>
> महोदय,
>
> *यह अनुरोध किया जाता है कि मैं, ए (नाम रोका गया) डी/ओ एसएचबी (नाम रोका गया) जाति हरिजन, निवासी, सलाहवास, जिला झज्जर, हरियाणा, वर्तमान में पुलिस लाइन, नूंह में रह रहा हूं और मैं पुलिस स्टेशन नूंह में हरियाणा पुलिस में लेडी कांस्टेबल के रूप में तैनात हूं। आवेदक आरोपी मोहन को पिछले कई वर्षों से जानता था, जिसने आवेदक से कहा कि वह कुंवारा है और उससे शादी करने का इच्छुक है। जिस पर आवेदक ने आरोपी के लिए*

कुछ समय के बारे में पूछा और आवेदक को नौकरी मिलने के बाद, मोहन ने मेरे पिता से शादी के लिए कहा। 2018 में, मोहन और उसके चाचा (चाचा) कन्हैया और उसकी माँ मेरे घर आए और उसके साथ मेरी शादी को अंतिम रूप दिया। उसके बाद, आरोपी मोहन मेरे घर और मेरे सरकारी घर पर आने लगा। उसके बाद आरोपी मोहन और उसके परिवार ने एक-दूसरे के साथ मिलकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता दिखाते हुए मुझसे और मेरे माता-पिता से 6-7 लाख रुपये छीन लिए और इसके अलावा, उसने विभिन्न अवसरों पर मुझसे पैसे भी मांगे। जब भी मेरे पिता उनसे शादी के बारे में पूछते थे तब आरोपी और उसके माता-पिता बहाने बनाते थे और कहते थे कि हम पहले अपने छोटे बेटे की शादी करेंगे और फिर देखेंगे। आरोपी मोहन आर्मी में काम करता है और जब भी छुट्टियों में आता था तो मेरे साथ समय बिताता था। जब आरोपी मोहन जनवरी 2019-2020 में छुट्टियों के लिए आया था। वह मेरे साथ रहता था। उस दौरान कविता नाम की एक महिला ने मेरे पिता को उनके मोबाइल फोन पर फोन किया और बताया कि वह धर्म सिंह उर्फ मोहन की पत्नी है और बताया कि हमारे दो बेटे भी हैं और मोहन के घर में रह रहे हैं। इसी बहाने मैंने मोहन से उस महिला और बच्चों के बारे में पूछा तो आरोपी मोहन ने मुझे उस बारे में बात ना करने को कहा और मुझे धोखा देता रहा और इसी वजह से वह मुझे पीटता था, गालियां देता था और जाति संबंधी शब्दों का इस्तेमाल करता था और मुझसे कहता था कि मैं चमारी हूं और मैंने टाइम पास के लिए तुम्हारे साथ संबंध बनाए हैं और तुम मेरे लिए सिर्फ एक रखवाली हो और कुछ नहीं। आरोपी मोहन के अपनी ड्यूटी पर चले जाने के बाद मैंने अपने माता-पिता से इस बारे में चर्चा की और फिर मेरे पिता ने मोहन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह शादीशुदा है और उसके दो बेटे हैं। मेरे पिता ने आरोपी नंबर 2, 3 और 4 से रिश्ता खत्म करने और पैसे वापस करने के लिए बातचीत की थी, लेकिन आरोपी के पिता जीत राम ने मना कर दिया और पूछा कि हमने आपसे कोई पैसा नहीं लिया और फिर मेरे पिता के साथ बुरा व्यवहार किया। उसके बाद आरोपी मोहन मुझे फोन करता रहा और अपशब्दों का इस्तेमाल करता रहा और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। वह आरोपी मोहन सितंबर में छुट्टियों के लिए आया था और 07.09.2020 को उसने उससे मिलने की जिद की और मना करने के बाद भी नूंह आ गया। उससे बचने के लिए मैं

नल्हार मंदिर गया ताकि वह वापस लौट सके। मैं अपने क्वार्टर में लौट आया। रात करीब 3-4 बजे कुछ आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो देखा कि आरोपी मोहन मेरे क्वार्टर में घुस आया और मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ गलत हरकत की। मेरे मना करने के बाद उसने मुझे पीटा और मेरा फोन छीनकर अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि 'साली चमारी'। मैंने आपका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप मुझे छोड़ने की कोशिश करेंगे या इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करेंगे या मुझसे या मेरे माता-पिता से पैसे की मांग करेंगे, तो मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा और आपको अपने विभाग में बदनाम किया जाएगा। तुम किसी का सामना नहीं कर पाओगे और अगर तुमने किसी से शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं आपको समाज के सामने बदनाम करूंगा। इस कारण मैं चुप रही। मैंने आरोपी मोहन के पिता को फोन किया और उन्हें बताया कि मोहन ने मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और मुझे इंटरनेट पर वीडियो अपलोड करने की धमकी दे रहा है। तब आरोपी नंबर 2 ने कहा कि उसे रिकॉर्ड करने दें, उसने अभी तक अपलोड नहीं किया है। वह कब अपलोड करेगा तो मुझे बताना। 09.09.2020 को, जब मैं अपने घर की सफाई कर रहा था, तो मुझे गुलदस्ते के अंदर एक माइक्रो कैमरा मिला, जो मेरे बिस्तर पर रखा था। जब मैंने उसी के बारे में पूछताछ की, तो उसने कैमरा छीन लिया और उसे तोड़ दिया। कि कई मौकों पर उसने मुझे इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए मेरी तस्वीरें दिखाकर धमकी दी है। प्रतिष्ठा के डर से मैंने किसी के सामने इसका खुलासा नहीं किया है। 15.09.2020 को, मैं छुट्टी लेकर अपने घर गया था तब आरोपी मोहन ने मुझे फोन किया और मुझे आखिरी बार मिलने के लिए कहा और मुझे यह भी कहा कि वह मेरी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर देगा और आरोपी ने मुझे महेंद्रगढ़ में 20.09.2020 को मिलने के लिए कहा और मुझसे कहा कि हमें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए। बात करने के लिए वह मुझे होटल (लाजिज) ले गया और मैंने उससे कहा कि मैं जाना चाहती हूं, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया और मुझे पूरी रात बंधक बनाकर रखा गया और उसने मेरी सहमति के बिना मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जब मैंने उससे कहा कि मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा तो उसने मुझसे कहा कि जाओ और शिकायत दर्ज करो, मैं भारतीय सेना में हूं, जहां सैनिकों के खिलाफ धारा 302 के

तहत विभिन्न मामले दर्ज हैं, फिर भी कोई भी उन्हें अपमानित नहीं कर सकता, आप जो करना चाहते हैं करें और मैं अपनी प्रतिष्ठा के कारण चुप रहा और वह मुझे कमरे के अंदर बंद करने के बाद वहां से चला गया और मुझसे कहा कि वह वापस आ रहा है और कहीं मत जाओ। फिर मैंने किसी को दरवाजा खोलने के लिए कहा और किसी तरह मैं वहां से भागने में कामयाब रहा और पुलिस लाइन, नूंह में आ गया। जो अब मुझे भी फोन कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे जीवन, संपत्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए। मैं बहुत आभारी रहूंगा।

आपको धन्यवाद,

उम्मीदवार

A (नाम रोका गया) d/o B (नाम रोका गया),

जाति हरिजन, निवासी साल्हवास, जिला झज्जर,

वर्तमान में पुलिस लाइन, नूंह में रह रहे हैं।

मोबाइल नं. _____"

1. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता 24 साल की लड़की है और हरियाणा पुलिस के साथ कांस्टेबल के रूप में काम कर रही है। उसने पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई है जहां वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलीभगत से तैनात है। वकील का तर्क है कि एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता और आरोपी-याचिकाकर्ता के बीच संबंध सहमति से थे और याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी स्तर पर शिकायतकर्ता से शादी करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा ली गई तस्वीरों (सेल्फी), अनुलग्नक पी-1 पर भरोसा किया है, जो शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता को एक बेडरूम में दिखाती हैं। उन्होंने रिकॉर्ड की गई ऑडियो बातचीत पर भी भरोसा किया है और कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी), अनुबंध पी -2 और पी -3 में रिकॉर्ड पर रखा है ताकि यह आग्रह किया जा सके कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के साथ संबंध तोड़ दिया था और उसके बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता जांच में शामिल होने और जांच एजेंसी के साथ

सहयोग करने के लिए तैयार है।

2. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के वकील की सहायता से राज्य के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने शादी के झूठे बहाने शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उन्होंने कहा कि यह केवल तब था जब याचिकाकर्ता की पत्नी ने शिकायतकर्ता के पिता को फोन किया कि उसे इस तथ्य के बारे में पता चला कि याचिकाकर्ता शादीशुदा है। आगे यह तर्क दिया गया है कि एफआईआर में उल्लिखित 6-7 लाख रुपये की राशि में से कुछ पैसे याचिकाकर्ता द्वारा वापस कर दिए गए थे और शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा किए गए थे। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो बरामद किए गए थे। एसआई शंकुटराज से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसके द्वारा दर्ज बयान में आरोपों का समर्थन किया है। इसके अलावा, वह बताते हैं कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ धारा 354-बी, 379-बी और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 220 दर्ज की गई थी, जिसका उन्होंने याचिका में उल्लेख नहीं किया है।

3. मैंने पार्टियों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

4. याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार, शिकायतकर्ता को गलत तरीके से बंधक बनाने, आपराधिक धमकी, चोट पहुंचाने आदि के बारे में स्पष्ट और गंभीर आरोप हैं। शिकायतकर्ता ने न केवल शिकायत में कथित घटनाओं का विवरण दिया है, बल्कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में भी उनका समर्थन किया है। आरोपी याचिकाकर्ता से बरामद मोबाइल फोन में नग्न वीडियो वाली आपत्तिजनक सामग्री संग्रहीत पाई गई। यहां तक कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया माइक्रो कैमरा भी बरामद कर लिया गया है। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता के रिश्तेदार जून 2018 में उसके साथ थे जब दोनों के बीच शादी को अंतिम रूप दिया गया था और उसके बाद, याचिकाकर्ता किसी न किसी बहाने मामले में देरी करता रहा।

5. शिकायतकर्ता समाज के एक हाशिए के समूह से संबंधित है। अपनी शिकायत में, उन्होंने विशेष रूप से भाषा और याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों का विवरण दिया है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं। इस बात पर कोई

विवाद नहीं है कि शिकायत क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील का तर्क कि एफआईआर उस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है जहां शिकायतकर्ता तैनात है, कोई बर्फ नहीं काटता है। याचिकाकर्ता द्वारा जिन तस्वीरों पर भरोसा किया गया है, वे भी उसकी कोई मदद नहीं करती हैं, बल्कि वे यह दिखाने के लिए जाते हैं कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के लगातार संपर्क में था और उनके बीच शारीरिक अंतरंगता थी। कॉम्पैक्ट डिस्क में ऑडियो बातचीत की सत्यता पर ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित स्तर पर गौर किया जाएगा।

6. शिकायतकर्ता के बयान और उसके द्वारा लगाए गए विशिष्ट आरोपों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ***विजय उर्फ चीनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य***[1] (पैरा 11) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान देने योग्य है: -

> "11. ***पंजाब राज्य*** बनाम ***गुरमीत सिंह*** **(1996) 2 एससीसी 384** में, इस न्यायालय ने कहा कि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों में, न्यायालय ऐसे मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटने के लिए बाध्य है। अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियां एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को बाहर फेंकने का आधार नहीं होना चाहिए। यौन उत्पीड़न में पीड़ित के साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हैं और इसके लिए किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब तक कि पुष्टि की मांग करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। न्यायालय न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासनों की तलाश कर सकता है। अभियोक्ता का बयान घायल गवाह की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह उसकी साथी नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि यौन अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने में देरी को भी ठीक से समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर स्वाभाविक पाया जाता है, तो आरोपी को इसका कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।
>
> 10. इससे भी आगे, जैसा कि राज्य के वकील ने बताया है, याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास है। वह महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित एक अन्य प्राथमिकी में शामिल है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने याचिका में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है,

[1] (2010) 8 एससीसी 191

बल्कि याचिका के पैरा 20 में, उसने एक स्पष्ट घोषणा की है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: –

"20. याचिकाकर्ता के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अन्य मामला दर्ज या लंबित नहीं है।

11. अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो अपने आपराधिक अतीत के बारे में तथ्यों को दबाता है और दागी हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाता है।

12. उपरोक्त पृष्ठभूमि और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां किए गए किसी भी अवलोकन को मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी